

२३/१२/२५

परावली पेक्षा दुई, तथा विना वकील अनुमते
 दुके मूल बाह अहम पेखी, - अहम,
 हाजरी में खरीज हो चुका है, अतः
 आवेदन में आगे की कार्यवाही का
 कोई औचित्य नहीं रहा. अतः आवेदन
 में आगे की कार्यवाही इसी स्तर
 पर समाप्त की जाकर आवेदन
 अहम पेखी - अहम हाजरी में खरीज
 किया जाता है. परावली फौजदारी
 सुमार होकर हाजिर खर हो
 गम्बर से कम है।

सहायक कलक्टर
 (फास्ट-ट्रेक) चौहटन

